रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1810] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2014/भाद्र 20, 1936
No. 1810] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2014/BHADRA 20, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा यूनिट)

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितंबर, 2014

का.आ. 2302(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 25.07.2014 को फा. सं.-673/08/2014 - कस्टम VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री मयूर रंजन, [@मयूर रंजन कुमार@विजय@सुमित], एन.पी. 157डी, गोपाल मंदिर के निकट, पीतमपुरा, नई दिल्ली को केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी करने से उन्हें रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/08/2014-कस्टम VIII]

हरमीत एस. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA UNIT)

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2014

S.O. 2302(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F.No.673/08/2014-Cus.VIII, dated 25.07.2014 under the said sub-section directing that Shri Mayur Ranjan, [@Mayur Ranjan Kumar @ Vijay @ Sumit], N.P.157D, Near Gopal Mandir, Pitampura, New Delhi, be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting smuggling the goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/08/2014-Cus.VIII]
HARMEET S. SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितंबर, 2014

का.आ. 2303(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 25.07.2014 को फा. सं.-673/09/2014 - कस्टम VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री योडिंग जिरअलर्टरंग्रोट [@योडिंग@चान@चेन@लिन], एफ-76, तीसरा तल, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली को केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी करने से उन्हें रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/09/2014-कस्टम VIII]

हरमीत एस. सिंह, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2014

S.O. 2303(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No.673/09/2014-Cus.VIII, dated 25.07.2014 under the said sub-section directing that Shri Yodying Jiralertrungrot [@Yoding@ Chan@Chen@Lin], F-76, 3rd Floor, Mansarovar Garden, New Delhi, be detained and kept in

custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting smuggling the goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F.No. 673/09/2014-Cus.VIII]

HARMEET S. SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.